

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
गाजियाबाद।

सेवा में,

प्रबन्धक  
एवरेस्ट पब्लिक स्कूल, शालीमार गार्डन,  
साहिबाबाद गाजियाबाद।

पत्रांक: शि0स0/ 2791-92 /89-90

दिनांक: 6-9-89

विषय:- प्राईमरी स्तर की स्थायी मान्यता प्रदान किये जाने के बारे में ।

महोदय,

उपयुक्त विषयक आपके पत्र दिनांक शून्य पर उप विद्यालय निरीक्षक गाजियाबाद द्वारा की गई संस्तुति पर दिनांक 26-7-89 में जिला मान्यता समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार आपके विद्यालय को प्राईमरी स्तर की स्थायी मान्यता निम्न प्रतिबंधों के साथ प्रदान की जाती है-

- 1- विभाग से अनुमति प्राप्त किये बिना कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाएँ कदापि संचालित न की जाय ।
- 2- विभाग द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम लागू किया जाय । अस्वीकृत पुस्तकें प्रयोग न की जाय ।
- 3- निर्धारित शुल्क से ज्यादा कदापि न लिया जाय ।
- 4- मान्यता विषय पत्रों में दी गई सूचना गलत पाये जाने तथा विभागीय आदेशों तथा निर्देशों के अनुपालन न होने पर स्थाई मान्यता समाप्त करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित है ।
- 5- कार्यरत अध्यापकों/कर्मचारियों को विभाग द्वारा स्वीकृत वेतन तथा शान्ति निश्चित रूप से बैंक के माध्यम से किये जायें । अर्ह अध्यापकों को उनके पद पर स्थाई किया जाय तथा उन्हें प्राविधायी योजना की सुविधा दी जाय ।
- 6- ग्राउन्ड डैस्को की व्यवस्था की जाय ।

भावदीय,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
गाजियाबाद।

पु0स0: शि0स0/

/89-90

तददिनांक

प्रतिलिपि उप विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
गाजियाबाद।

प्रेषक,

मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बैसिक)  
प्रथम मण्डल, मेरठ।

सेवा में,

प्रबन्धक,

एवरेस्ट पोब्लिक जूनियर हाई स्कूल,  
शांतीमार्ग गाँव, साहिबाबाद,  
गाँवियाबाद।

पत्रांक सं० शि० सं०/ 1222-24

95-96  
दिनांक 31-5-95

विषय :— अशासकीय उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8 तक) "ब" श्रेणी की मान्यता के विषय में।

महोदय/महोदया

शासनादेश संख्या 217/15—6—92—18 एस. (7)/89 दिनांक 11—5—92 में किये गये प्राविधानों के अन्तर्गत मण्डलीय स्तर पर गठित मान्यता समिति के निर्णयानुसार आपके विद्यालय की कक्षा 6 से 8 तक "ब" श्रेणी की मान्यता यह आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रदान की जाती है। प्रत्येक कक्षा हेतु एक वर्ग की अनुमति भी प्रदान की जाती है।

शासनादेश में विहित मानकों के अनुसार आपके विद्यालय हेतु निम्नलिखित शिक्षक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के पद अनुमत्य होंगे।

प्रधानाध्यापक	एक
सहायक अध्यापक	चार
लिपिक	एक
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	एक

उक्त जनशक्ति में त्रिभाषा / प्रसार / क्राफ्ट अध्यापक सम्मिलित माने जायेंगे। शासकीय विभागीय आदेशों का पालन न करने की स्थिति में मान्यता प्रत्याहरण का अधिकार उ० प्र० बैसिक शिक्षा परिषद को होगा।

भवदीय

मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बैसिक)  
प्रथम मण्डल, मेरठ

पृ० सं० शि० सं०/

/94-95 दिनांक 31-5-95

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1—अपर शिक्षा निदेशक (बैसिक) उ० प्र० शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
- 2—सचिव उ० प्र० बैसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
- 3—प्रमस्त्र जिला बैसिक शिक्षा अधिकारी मेरठ मण्डल, मेरठ। गाँवियाबाद।
- 4—लेखाधिकारी, कार्यालय जिला बैसिक शिक्षा अधिकारी.....
- 5—जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी.....
- 6—उप विद्यालय निरीक्षक / जिला अधीक्षक / अधीक्षिका जनपद।
- 7—कार्यालय गाँव फाईल।

मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बैसिक)  
प्रथम मण्डल, मेरठ।